संख्या-72/2021/903/सैंतीस-2-2021-1(12)/2013

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-23 जून, 2021

विषयः- **अनुदान संख्या-83 के अधीन पशु रोग अनुसन्धान तथा निदान और सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-30/सा0-1/एक्स-120(187)/अनु0-83/जि.यो./2021-22, दिनांक-20.05.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-पशु रोग अनुसंधान तथा निदान और सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-400.00 लाख (रूपये चार करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न जनपदवार विवरणानुसार अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	33.33
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	33.33
39-औषधि तथा रसायन	266.67
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	66.67
योग-	**400.00**

(रूपये चार करोड़ मात्र)

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना के मार्गदर्शक सिद्धान्तों (गाईडलाइन्स) के अनुरूप करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।
3. जिला योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
4. स्वीकृत धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा जब निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन/संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
9. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में प्रशासकीय व्यय में मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. अनुमोदित की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक-22.03.2021 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-पशु रोग अनुसंधान तथा निदान और सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक-22.03.2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-72/2021/903(1)/सैंतीस-2-2021- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-72/2021/903/सैंतीस-2-2021-1(12)/2013, दिनांक-23 जून, 2021 का संलग्नक-

पशु रोग अनुसंधान तथा निदान और सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) (कम्पोनेन्ट) (2021-22)

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	मानक मद				
		12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	39-औषधि तथा रसायन	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	सहारनपुर	0.545	0.545	4.360	1.090	**6.540**
2	मुजफ्फरनगर	0.726	0.726	5.813	1.453	**8.718**
3	शामली	0.378	0.378	3.028	0.757	**4.541**
4	बिजनौर	0.560	0.560	4.481	1.120	**6.721**
5	मुरादाबाद	0.333	0.333	2.664	0.666	**3.996**
6	रामपुर	0.287	0.287	2.301	0.575	**3.450**
7	अमरोहा	0.318	0.318	2.543	0.636	**3.815**
8	सम्भल	0.272	0.272	2.180	0.545	**3.269**
9	मेरठ	0.484	0.484	3.875	0.969	**5.812**
10	बागपत	0.484	0.484	3.875	0.969	**5.812**
11	गाजियाबाद	0.257	0.257	2.059	0.515	**3.088**
12	गौतमबुद्धनगर	0.303	0.303	2.422	0.605	**3.633**
13	बुलन्दशहर	0.681	0.681	5.450	1.362	**8.174**
14	हापुड़	0.257	0.257	2.059	0.515	**3.088**
15	अलीगढ़	0.711	0.711	5.692	1.423	**8.537**
16	हाथरस	0.303	0.303	2.422	0.605	**3.633**
17	एटा	0.635	0.635	5.086	1.271	**7.627**
18	कासगंज	0.242	0.242	1.938	0.484	**2.906**
19	मथुरा	0.439	0.439	3.512	0.878	**5.268**
20	आगरा	0.514	0.514	4.117	1.030	**6.175**
21	फिरोजाबाद	0.439	0.439	3.512	0.878	**5.268**
22	मैनपुरी	0.545	0.545	4.360	1.090	**6.540**
23	बदायूं	0.393	0.393	3.149	0.787	**4.722**
24	बरेली	0.531	0.531	4.239	1.060	**6.361**
25	पीलीभीत	0.242	0.242	1.938	0.484	**2.906**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

26	शाहजहांपुर	0.470	0.470	3.754	0.939	**5.633**
27	खीरी	0.635	0.635	5.086	1.271	**7.627**
28	सीतापुर	0.575	0.575	4.602	1.150	**6.902**
29	हरदोई	0.711	0.711	5.692	1.423	**8.537**
30	उन्नाव	0.788	0.788	6.297	1.575	**9.448**
31	लखनऊ	0.424	0.424	3.391	0.848	**5.087**
32	रायबरेली	0.591	0.591	4.723	1.182	**7.087**
33	फर्रूखाबाद	0.378	0.378	3.028	0.757	**4.541**
34	कन्नौज	0.287	0.287	2.301	0.575	**3.450**
35	इटावा	0.393	0.393	3.149	0.787	**4.722**
36	औरैया	0.272	0.272	2.180	0.545	**3.269**
37	कानपुर देहात	0.409	0.409	3.270	0.817	**4.905**
38	कानपुर नगर	0.484	0.484	3.875	0.969	**5.812**
39	जालौन	0.303	0.303	2.422	0.605	**3.633**
40	झांसी	0.333	0.333	2.664	0.666	**3.996**
41	ललितपुर	0.287	0.287	2.301	0.575	**3.450**
42	हमीरपुर	0.287	0.287	2.301	0.575	**3.450**
43	महोबा	0.227	0.227	1.817	0.454	**2.725**
44	बांदा	0.304	0.304	2.422	0.606	**3.636**
45	चित्रकूट	0.197	0.197	1.574	0.394	**2.362**
46	फतेहपुर	0.531	0.531	4.239	1.060	**6.361**
47	प्रतापगढ़	0.758	0.758	6.055	1.515	**9.086**
48	कौशाम्बी	0.228	0.228	1.817	0.455	**2.728**
49	प्रयागराज	0.742	0.742	5.934	1.484	**8.902**
50	बाराबंकी	0.561	0.561	4.481	1.121	**6.724**
51	अयोध्या	0.440	0.440	3.512	0.879	**5.271**
52	अम्बेडकर नगर	0.273	0.273	2.180	0.546	**3.272**
53	सुल्तानपुर	0.484	0.484	3.875	0.969	**5.812**
54	अमेठी	0.424	0.424	3.391	0.848	**5.087**
55	बहराईच	0.530	0.530	4.239	1.059	**6.358**
56	श्रावस्ती	0.197	0.197	1.574	0.394	**2.362**
57	बलरामपुर	0.287	0.287	2.301	0.575	**3.450**
58	गोण्डा	0.530	0.530	4.239	1.059	**6.358**
59	सिद्धार्थ नगर	0.379	0.379	3.028	0.758	**4.544**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

60	**बस्ती**	0.484	0.484	3.875	0.969	**5.812**
61	**संतकबीर नगर**	0.272	0.272	2.180	0.545	**3.269**
62	**महराजगंज**	0.469	0.469	3.754	0.938	**5.630**
63	**गोरखपुर**	0.787	0.787	6.297	1.574	**9.445**
64	**कुशीनगर**	0.393	0.393	3.149	0.787	**4.722**
65	**देवरिया**	0.364	0.364	2.906	0.727	**4.361**
66	**आजमगढ़**	0.878	0.878	7.024	1.756	**10.536**
67	**मऊ**	0.469	0.469	3.754	0.938	**5.630**
68	**बलिया**	0.847	0.847	6.780	1.695	**10.169**
69	**जौनपुर**	0.545	0.545	4.360	1.090	**6.540**
70	**गाजीपुर**	0.787	0.787	6.297	1.574	**9.445**
71	**चन्दौली**	0.272	0.272	2.180	0.545	**3.269**
72	**वाराणसी**	0.242	0.242	1.938	0.484	**2.906**
73	**संतरविदास नगर**	0.166	0.166	1.332	0.333	**1.997**
74	**मिर्जापुर**	0.409	0.409	3.270	0.817	**4.905**
75	**सोनभद्र**	0.348	0.348	2.785	0.696	**4.177**
योग-		**33.330**	**33.330**	**266.670**	**66.670**	**400.000**

(रूपये चार करोड़ मात्र)

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।